छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला- रायपुर

// अधिसूचना //

नवा रायपुर, दिनांक 04 नवंबर, 2020

क्रमांक एफ 20–47/2013/11/(6) चूंकि, राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है,

अतएव, राज्य शासन एतद् द्वारा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 07.03.2015 द्वारा जारी **"छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम – 2015'** में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :–

संशोधन

(एक) उक्त अधिसूचना के अध्याय–2 की कंडिका 2.10 की उप कंडिका क्रमांक 2.2.1 के पैरा–2 के पश्चात निम्नलिखित परन्तुक स्थापित किया जाता है :–

(2.2.1) "परंतु इन नियमों के अंतर्गत राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के अधीनस्थ उद्योग संचालनालय/सीएसआईडीसी द्वारा विकसित, नियंत्रित एवं संधारित समस्त विभिन्न शीर्षक वाले स्थापित एवं स्थापित होने वाले, नवीन औद्योगिक क्षेत्रों में (चाहे किसी भी नाम पर स्थापित किये जावे) छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग के उपक्रम यथा – छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित / छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित / छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित के द्वारा उक्त क्षेत्र में विद्युत पारेषण/ वितरण हेतु योजना के क्रियान्वयन हेतु न्यूनतम आवश्यक भूमि का आबंटन रूपये 1 (एक) प्रतीकात्मक प्रीमियम राशि (टोकन मनी) पर बिना किसी "Lease rent, Security deposit, etc." *के किया जाए। इस हेतु वाणिज्य एवं उद्योग विभाग तथा ऊर्जा विभाग के आपसी समन्वय से उद्योग विभाग द्वारा आबंटन जारी किया जायेगा। तथापि 0.5 एकड़ अथवा उससे कम भूमि के प्रकरणों का निराकरण रूपये 1 (एक) प्रतीकात्मक प्रीमियम राशि (टोकन मनी) पर बिना किसी* "Lease rent, Security deposit etc." *के आबंटन अधिकारी द्वारा अपने स्तर पर किया जा सकेगा।"*

निरंतर .....2...

परंतु, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग (अधीनस्थ उद्योग संचालनालय/ सीएसआईडीसी) द्वारा विकसित, नियंत्रित एवं संधारित क्षेत्रों में वार्षिक संधारण के मद में प्रत्येक क्षेत्र हेतु संधारणकर्त्ता एजेंसी द्वारा एमएसएमई उद्योगों के लिए लागू दर पर देय राशि भुगतान योग्य होगी। आबंटनकर्त्ता एजेंसी के द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों में उक्त भूमि आबंटन परियोजना हेतु आवश्यक अधोसंरचना के रूप में भूमि का आबंटन किया जा सकेगा। संधारण शुल्क की देय राशि भुगतान प्रतिवर्ष नियमानुसार किया जाना आवश्यक होगा।

(दो) उक्त अधिसूचना के अध्याय–2 की कंडिका 2.10 की उप कंडिका क्रमांक 2.10.1 एवं 2.10.2 में निम्नलिखित अनुसार संशोधन किया जाता है :–

"कंडिका 2.10.1 एवं कंडिका 2.10.2 में प्रथम पंक्ति में वर्णित "**प्रब्याजी में 30 प्रतिशत**" के स्थान पर "**प्रब्याजी में 60 प्रतिशत से अधिक**" से प्रतिस्थापित किया जाता है।"

(तीन) उक्त अधिसूचना के अध्याय–3 की कंडिका–3.1 की उप कंडिका क्रमांक–3.1.1.1(I) में तालिका के पश्चात निम्नलिखित पैरा स्थापित किया जाता है :–

(3.1.1.1) (I) में तृतीय वृद्वि के लिये उपलब्ध प्रावधान के उपरांत भी उद्योग द्वारा उत्पादन प्रारंभ न किये जाने की स्थिति में तथा पट्टाभिलेख के निरस्त न होने की स्थिति में संबंधित इकाई को कोविड–19 की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये तत्समय प्रचलित प्रब्याजी का 10 प्रतिशत अतिरिक्त भुगतान करने पर उत्पादन प्रारंभ करने के लिये एक वर्ष की अतिरिक्त अवधि, जो अधिकतम दिनांक 31.10.2021 को समाप्त होगी, सक्षम प्राधिकारी द्वारा सशर्त प्रदाय की जा सकेगी। उक्त अवधि पश्चात भी उद्यम में आरंभ न होने पर दी गई यह अतिरिक्त अवधि शून्य होगी। तथा संबंधित इकाई पर छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2015 के मूल प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाही की जा सकेगी। यह सुविधा कोविड–19 की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मात्र एक बार के लिए उपलब्ध होगी, जिसे अन्य प्रकरणों में पूर्व उदाहरण के रूप में उपयोग नही किया जा सकेगा।

यह संशोधन इस अधिसूचना के जारी होने की दिनांक से प्रवृत्त हुये समझी जावेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(मनोज कुमार पिंगुआ)
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

निरंतर .....3...

पृष्ठा. क्र. एफ 20–47/2013/11/(6) नवा रायपुर दिनांक 04 नवंबर, 2020

प्रतिलिपि :–

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला– रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. संचालक, उद्योग संचालनालय (छत्तीसगढ़), भू–तल, उद्योग भवन, रायपुर
3. प्रबंध संचालक, सी.एस.आई.डी.सी. प्रथम–तल, उद्योग भवन, रायपुर
4. मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र ....(छत्तीसगढ़),
5. नियंत्रक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, छत्तीसगढ़ राजनांदगांव की ओर अग्रेषित कर निवेदन है कि उपर्युक्त अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र के आगामी अंक में मुद्रित करवाकर 250 प्रतियां इस विभाग को कृपया उपलब्ध करायें।

हस्ता०

प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग